भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 86
उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

शिक्षा में विद्यालय प्रबंधन समितियों और समुदाय की भागीदारी

+86. डॉ. अमर सिंह:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि शैक्षिक नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का सुदृढ़ीकरण और सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 समुदाय और अभिभावकों की भागीदारी पर जोर देती है ताकि बच्चे को समुचित तरीके से सीखने और अधिगम परिणामों की प्राप्ति में मदद मिल सके। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 21 सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के गठन को अनिवार्य बनाती है जिसमें महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व और लाभवंचित समूहों के अभिभावकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। एनईपी, 2020 के पैरा 5.11 में उल्लिखित है कि अभिभावकों और अन्य प्रमुख स्थानीय हितधारकों के सहयोग से शिक्षक भी स्कूल प्रबंधन समितियों/स्कूल परिसर प्रबंधन समितियों के सदस्यों के रूप में स्कूलों/स्कूल परिसरों के प्रशासन में और अधिक शामिल होंगे।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की प्रमुख योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत गुणवत्ता और नवाचार हस्तक्षेप के तहत सामुदायिक भागीदारी का प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि शिक्षा के कार्यान्वयन में सामुदायिक लामबंदी और समुदाय के सदस्यों की गहन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल स्कूलों में उपायों की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन में बल्कि समुदाय द्वारा सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी, मूल्यांकन और स्वामित्व में भी 'बॉटम अप अप्रोच' को बढ़ावा देता है।

सामुदायिक लामबंदी घटक की प्रमुख गतिविधियों में से एक है प्रत्येक विद्यालय में एसएमसी/विद्यालय प्रबंधन विकास समिति (एसएमडीसी) का गठन करना जिसमें स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, विषय-विशेषज्ञ, अधिकारी, लाभवंचित समूहों के प्रतिनिधि, महिलाएं और छात्रों के माता-पिता/अभिभावक शामिल होते हैं जो आरटीई अधिनियम के अनुरूप होते हैं। इसके अलावा, समुदायों को विद्यालयों से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं:

- **विद्यांजलि 2.0**: यह व्यक्तियों, नागरिक समाजों और कॉर्पोरेट क्षेत्र को स्वयंसेवा, मार्गदर्शन, अवसंरचना के विकास एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से स्कूलों को सहयता देने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- **अभिभावकीय जागरूकता और समावेश कार्यक्रम**: इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, छात्रों की शिक्षा और स्कूल सुधार में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभिभावक-शिक्षक बैठकें (पीटीएम) और सामुदायिक बातचीत आयोजित की जाती हैं।

- **उल्लास (समाज में सभी के लिए जीवनपर्यंत अधिगम को समझना)**: इस पहल का उद्देश्य समुदाय को शिक्षण गतिविधियों में शामिल करके साक्षरता और कौशल निर्माण को बढ़ावा देना है।

सामुदायिक भागीदारी को विभिन्न पहलों जैसेकि बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान, इको क्लब, एक पेड़ मां के नाम, साक्षरता अभियान, खेल दिवस, अभिनव शिक्षा, शिक्षा सप्ताह आदि के लिए जन आंदोलन के रूप में नियमित रूप से बढ़ाया जा रहा है।

*****